आपके द्वारा 2018 धारा 188 प्र.सं. 45/2017

22-5-18
पंजोड़

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सूरजपुरा में पेश हुई। प्रतिवादी मनोज कैम्प कोर्ट में उपस्थित। प्रतिवादी मनोज को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद जवाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। ब.नं. 692 रकबा 0.13 है. तथा ब.नं. 694 रकबा 0.30 है. कुल मिला 2 कुल रकबा 0.43 है. भूमि के बारे में वादिया के द्वारा प्रतिवादी मनोज से मौखिक विक्रयपत्र के रूप में जमीन खरीदी है। वादिया उक्त वाद ग्रस्त भूमि के क्रयशुदा है। इससे 1/2 में प्रतिवादी के द्वारा कब्जे मालिक, उपयोग उपभोग में दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी के स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करने हेतु अनुतोष चाहा गया है, जो रेकर्ड से प्रमाणित है। अतः वादिया का वाद बिना निराकरण किया जाता है तथा प्रतिवादी मनोज के हक में स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम सूरजपुरा स्थित ब.नं. 692 रकबा 0.13 है. तथा ब.नं. 694 रकबा 0.30 है. भूमि में वादिया के हिस्से 1/2 के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। पक्षकार बिदा जायेंगे। प्रकरण कैलाश कुमार द्वारा नम्बर से कम है तथा वाद तकमीना पर्याप्त शोध मण्डार है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सूरजपुरा के सामने आम में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
कोटा